

10,000 FPO को CSC में परिवर्तित करने हेतु समझौता ज्ञापन

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में ई-गवर्नेंस सेवा प्रदाता कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल प्रपोज व्हीकल (CSC SPV) तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisation- FPO) को सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Centres- CSC) में परिवर्तित करने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

- इससे '10,000 FPO के गठन एवं संवर्द्धन योजना' के तहत पंजीकृत FPO से जुड़े किसानों को लाभ होगा, क्योंकि इससे उन्हें नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- '10,000 FPO का गठन एवं संवर्द्धन' वर्ष 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
 - इसका उद्देश्य किसानों की सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि करना, उत्पादन की लागत में कमी लाने और अपने कृषिउत्पादों के एकत्रीकरण के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- CSC योजना, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की मशिन मोड परियोजनाओं में से एक है, किसानों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान कर रही है, जिनमें टेली-कंसलटेशन, फसल बीमा, ई-पशु चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड और PM किसान योजनाएँ शामिल हैं।

और पढ़ें: सामान्य सेवा केंद्र (CSC), किसान उत्पादक संगठन, 10,000 FPO का गठन और संवर्द्धन



